29/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी नं.4 की ओर से प्रा. पत्र अन्तर्गत आ. 7 नि. 11 जा. दी. का इस आशय का पेश किया कि वादी ओंकारलाल ने दिनांक 18.5.2017 को न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत पेश किया इस वाद को प्रस्तुत करने के पूर्व ही प्रतिवादी क्रमांक 6 राजुडी का स्वर्गवास दिनांक 2.5.2004 को हो चुका था। साथ ही वादी व राजुडी एक ही गांव के होना भी वादी ने स्वीकार किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 15:25:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व [illegible] की जानकारी भी फिर भी वादी ने भरतका के खिलाफ वाद पेश किया है इसलिये यह वाद बेकार हो चुका है इसलिए वाद-वादी खारिज किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त खसरा नं 390 रकबा 0.84 हैक्टर भूमि में वादी का राजस्व रिकॉर्ड में 2/7 हिस्सा दर्ज था। जिस का वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 4 जगदीश की पत्नी गंगा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.5.17 को विक्रय पत्र कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जिससे वादी का उक्त आराजियात में कोई हक हिस्सा निहित ही नहीं रहा है प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत वाद कानून के विरुद्ध पेश किया है। इसलिये भी वाद-वादी खारिज होने योग्य है इसलिये प्रा. पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद खारिज फरमाया जावे। वकील वादी द्वारा प्रा. पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। आदेशिका दिनांक 22.8.22 के अनुसार वादी के अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलाई गई परन्तु वादी के अधिवक्ता व वादी की कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। इसलिये एक [illegible] कार्यवाही का आदेश पारित [illegible] है। वकील प्रति[illegible] [illegible] है उनके द्वारा [illegible] कि प्रार्थना पत्र में प्रा. पत्र आदेश 7 नि. 11 संहिता है जिस पर बहस प्रस्तुत करना चाहते हैं इसलिए प्रा. पत्र का.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 15:25:29 IST
Reason: SelfAttested

7 नि. 11 पर बहस सुनी गई। बहस में प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रा. पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराते हुये प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद-वादी खारिज फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह सिद्ध होता है कि वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 23.5.17 को प्रतिवादी सं. 1 से 9 के खिलाफ पेश किया गया है। प्रतिवादी नं. 6 रामजी का स्वर्गवास दिनांक 02.5.2004 को हो जाना मृत्यु प्रमाण पत्र से सिद्ध होता है इस न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर दिनांक 27.6.17 को प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी नं. 6 की मृत्यु होना समन पर रिपोर्ट अंकित की गई है वादी द्वारा निर्धारित समय अवधि में उनके विधिक वारिसानो को भी रिकार्ड पर नहीं लिये जाने का प्रा. पत्र भी पेश नहीं किया गया है। नियमानुसार विधि के प्रावधानो अनुसार किसी मृतक के खिलाफ कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना एवं वाद-वादी इसी स्तर पर [illegible] चलने योग्य नहीं होने से [illegible] जाना उचित प्रतीत होता है। [illegible] प्रा. पत्र अन्त. 7 नि. 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकार्ड हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.12.12 16:25:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर